प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3015 / 1998

याचिकाकर्ता : राज नारायण गुप्ता

बनाम

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान स्टीलवर्क कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एवं अन्य।

निर्णय एवं आदेश के उद्घोषणा हेतु दिनांक 08 अप्रैल, 2013 को नियत किया जाता है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायामूर्ति

07/04/2013

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3015 1998

याचिकाकर्ता	:	राज नारायण गुप्ता
	बनाम	
उत्तरवादीगण	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान स्टीलवर्क कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एवं अन्य।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत दायर रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:-

याचिकाकर्ता की ओर से श्री वी. जी. तामस्कर, अधिवक्ता।

उत्तरवादी गण की ओर से, नोटिस की तामीली के उपरांत भी, कोई उपस्थित नहीं।

आदेश

(दिनांक 08 अप्रैल, 2013 को प्रदत्त)

1. इस याचिका में दिनांक 27.01.1998 (अनुलग्नक पी /1) के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा आगे यह भी प्रार्थना की गई है कि उत्तरवादी प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता को उसके विधिसम्मत अधिकारानुसार पद पर पुनः कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान करें तथा दिनांक 05/06.10.1989 से समस्त परिणामी लाभों का भुगतान करें।
2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता उत्तरवादी विभाग में अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत था। दिनांक 30.06.1988 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (संक्षेप में 'सीबीआई') द्वारा याचिकाकर्ता के निवास स्थान सहित अन्य दो कर्मचारियों के निवास पर छापामार कार्यवाही की गई। तत्पश्चात 16 माह के उपरांत, दिनांक 31.10.1989 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के

प्रावधानों के अंतर्गत, विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, धनबाद, बिहार के न्यायालय में विचारण हेतु एक दांडिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।इसके उपरांत, दिनांक 29.07.1988 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभियोग-पत्र जारी किया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखने में असफलता प्रदर्शित की तथा कदाचार किया, इस प्रकार कि उसने अपने नाम अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर चल-अचल संपत्तियाँ अर्जित कीं। तत्पश्चात एक विभागीय जांच (संक्षेप में 'डीई') संपन्न की गई और दिनांक 05/06.10.1998 (अनुलग्नक पी /5) का आक्षेपित आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उक्त आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जिसमें बर्खास्तगी का आदेश निरस्त कर दिया गया, तथापि आरोप-पत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, जैसा कि दिनांक 28.06.1993 (अनुलग्नक पी /6) के आदेश से स्पष्ट है। उत्तरवादी प्राधिकारियों को जांच कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु तीन माह का समय प्रदान किया गया। पश्चात्, दिनांक 29.06.1993 के आदेश में संशोधन करते हुए यह निर्देशित किया गया कि उक्त तीन माह की अवधि दिनांक 02.09.1993 से गणना की जाएगी (अनुलग्नक पी /7)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उक्तानुसार कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, उत्तरवादी प्राधिकारियों ने दिनांक 29.07.1988 के आरोप-पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपों की नवीन सिरे से जांच संपन्न कराने हेतु श्री एम. एस. कुरैशी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, को जांच अधिकारी (संक्षेप में 'ई.ओ.') के रूप में नियुक्त किया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 31.05.1995 को आयोजित प्रारंभिक सुनवाई में उपस्थिति दर्ज कराते हुए आरोपों का खंडन किया तथा दिनांक 01.07.1995 को आयोजित सुनवाई में भी सम्मिलित हुआ। तत्पश्चात, चूंकि उत्तरवादी गण द्वारा विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई, याचिकाकर्ता ने अपने निलंबन को निरस्त कर उसे उसके पद पर कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान करने हेतु, दिनांक 29.06.1993 के निर्णय के अनुरूप, मांग प्रस्तुत की, जिसे उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।उक्त अस्वीकृति से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका प्रस्तुत की, जिसमें उत्तरवादी प्राधिकारियों को दिनांक 23.07.1997 (अनुलग्नक पी /8) से आठ सप्ताह के भीतर जांच कार्यवाही पूर्ण करने का निर्देश प्रदान किया

गया। तत्पश्चात, जांच कार्यवाही पूर्ण की गई और आक्षेपित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तामस्कर द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि दाण्डिक प्रकरण एवं विभागीय कार्यवाही समान तथ्यों के आधार पर एवं समानांतर रूप से संचालित हो रही थीं, अतः याचिकाकर्ता के लिए दोनों स्थलों, अर्थात् धनबाद (बिहार) एवं भिलाई में एक साथ सुनवाई में उपस्थित होना अत्यंत कठिन था। इस कारण याचिकाकर्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का शरण ली, जहाँ माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.08.1997 के अंतरिम आदेश द्वारा उत्तरवादी प्राधिकारियों को सात दिवस की अवधि तक विभागीय जांच की कार्यवाही आगे बढ़ाने से प्रतिबंधित कर दिया। उक्त अवधि को दिनांक 28.08.1997 के आदेश द्वारा 16.09.1997 तक विस्तारित किया गया तथा तत्पश्चात दिनांक 22.09.1997 को उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को विभागीय जांच को खंडपीठ द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की, तथापि बिना खंडपीठ की अनुमति के उस पर कोई प्रभावी कार्यवाही न किए जाने का निर्देश दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभागीय जांच की कार्यवाही दिनांक 18.08.1997 से 22.09.1997 तक स्थगित रही। इसके बावजूद, उत्तरवादी प्राधिकारियों ने विभागीय जांच की कार्यवाही जारी रखते हुए अभियोजन साक्षियों का परीक्षण किया। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 23.09.1997 को विभागीय जांच को एकपक्षीय रूप से संपन्न करते हुए आरोपों को याचिकाकर्ता के विरुद्ध सिद्ध ठहराया गया। इसके पश्चात, जांच प्रतिवेदन (संक्षेप में 'ई.आर.') की प्रति, दिनांक 03.10.1997 (अनुलग्नक पी /11) के पत्र सहित, याचिकाकर्ता को दिनांक 07.10.1997 को प्रदान की गई। याचिकाकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 09.10.1997 एवं 14.10.1997 के माध्यम से ई.आर. पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु 25.10.1997 तक समय प्रदान करने का अनुरोध किया तथा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु भी प्रार्थना की, जिसे उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 14.10.1997 एवं 15.10.1997 (अनुलग्नक पी /12-A एवं B) के पत्रों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। इन तथ्यों से यह परिलक्षित होता है कि उत्तरवादी प्राधिकारियों ने पूर्व से ही याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का मन बना लिया था। अंततः, दिनांक 27.01.1998 (अनुलग्नक पी /1) के आक्षेपित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता की सेवाएं अवैध एवं मनमाने ढंग से समाप्त कर दी गईं। याचिकाकर्ता द्वारा निदेशक मंडल, कलकत्ता के समक्ष दायर अपील भी अब तक विचाराधीन/अनिर्णीत है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तामस्कर द्वारा आगे यह प्रतिपादित किया गया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप अस्पष्ट एवं अनिश्चित प्रकृति के हैं, विशेषतः यह आरोप कि याचिकाकर्ता ने पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यनिष्ठा का पालन नहीं किया। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विशिष्ट एवं निश्चित विवरणों के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियम, 1978 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है। यह भी अभिकथित किया गया कि चल एवं अचल संपत्तियों के अधिग्रहण संबंधी तथ्यों को छिपाने का आरोप भी निराधार है, क्योंकि याचिकाकर्ता समय-समय पर अपने नाम अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर अर्जित संपत्तियों के संबंध में उत्तरवादी प्राधिकारियों को सूचित करता रहा है। जांच अधिकारी द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा जप्त दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है। संपूर्ण विभागीय जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए संपन्न की गई, जिसके परिणामस्वरूप समस्त कार्यवाही शून्य एवं अवैध हो जाती है।अतः यह निवेदन किया गया कि सेवा से बर्खास्तगी का आक्षेपित आदेश इस माननीय न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने योग्य है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. नोटिस की विधिवत तामील के बावजूद, उत्तरवादी गण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, तथापि प्रतिवेदन (रिटर्न) प्रस्तुत किया गया है।

7. उत्तरवादी गण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह कथन किया गया है कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि दिनांक 29.06.1988 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा याचिकाकर्ता के निवास पर छापामार कार्यवाही की गई, जिसमें कुछ अघोषित संपत्ति पाई गई। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच संपन्न की गई, जिसमें अभिलेखों, साक्ष्यों एवं गवाहों के समुचित मूल्यांकन के उपरांत सेवा से बर्खास्तगी का आक्षेपित आदेश पारित किया गया। यह भी उल्लेखित किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देते हुए वर्ष 1990 में रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. सं. 13561 प्रस्तुत की गई थी, जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.1992 (अनुलग्नक आर/4) के आदेश से निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश के विरुद्ध खंडपीठ के समक्ष अपील (एफ.एम.ए.टी. सं. 2766/1992) प्रस्तुत की, जिसमें खंडपीठ द्वारा दिनांक 28.06.1993 (अनुलग्नक आर/5) के निर्णय के माध्यम से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए उत्तरवादी गण को विभागीय जांच कार्यवाही आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। यह भी अभिलेखित

है कि याचिकाकर्ता द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसका निराकरण दिनांक 23.03.1995 को किया गया। इसके पश्चात, खंडपीठ द्वारा दिनांक 23.07.1997 (अनुलग्नक आर/7) के आदेश के माध्यम से अवमानना याचिका क्रमांक 2037/1995 का निराकरण करते हुए उत्तरवादी गण को कार्यवाही जारी रखने तथा उक्त तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर उसे पूर्ण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसके उपरांत, याचिकाकर्ता द्वारा पुनः दिनांक 12.08.1997 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 19705 (डब्ल्यू)/1997 प्रस्तुत की गई, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा आदेश की तिथि से 10 दिवस की अवधि हेतु विभागीय जांच कार्यवाही पर स्थगन प्रदान किया गया। तत्पश्चात, उक्त आदेश को दिनांक 18.08.1997 को पुनः सात दिवस की अतिरिक्त अवधि हेतु विस्तारित किया गया।

8. उक्त आदेश तथा उसके विस्तार से व्यथित होकर, उत्तरवादी गण द्वारा भी एक अपील, अर्थात् एम.ए.टी. क्रमांक 2984/1997, प्रस्तुत की गई। इस बीच, याचिकाकर्ता द्वारा अंतरिम आदेश के विस्तार हेतु **कलकत्ता उच्च न्यायालय** के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.09.1997 (अनुलग्नक आर/10) के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया तथा उत्तरवादी प्राधिकारियों को माननीय खंडपीठ द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर जांच कार्यवाही पूर्ण करने की स्वतंत्रता प्रदान की, तथापि यह निर्देशित किया गया कि खंडपीठ की अनुमति के बिना उस पर कोई प्रभावी कार्यवाही न की जाए। दिनांक 19.09.1997 (अनुलग्नक आर/11) को उत्तरवादी गण द्वारा विभागीय जांच में लिए गए निर्णय को क्रियान्वित करने हेतु खंडपीठ के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर खंडपीठ द्वारा दिनांक 27.01.1998 को अनुमति प्रदान की गई। उक्त अनुमति के अनुसरण में, पूर्वोक्त के अनुसार, आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। यह भी अभिकथित किया गया है कि याचिकाकर्ता ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका में उपर्युक्त तथ्यों को छिपाया है, जिसके कारण मात्र इसी आधार पर याचिका निरस्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उत्तरवादी गण द्वारा आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विषयवस्तु पर कलकत्ता उच्च न्यायालय पूर्व से ही विचाराधीन है, अतः याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष सेवा से बर्खास्तगी के मुद्दे को पुनः उठाने का कोई औचित्य नहीं था। यह भी अभिकथित किया गया कि

याचिकाकर्ता ने सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), रायपुर के कार्यालय के समक्ष उपदान की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा समाप्ति को स्वीकार कर लिया है तथा उसी के अनुरूप धनराशि का दावा किया है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता की ओर से एक अधिवक्ता द्वारा भविष्य निधि की राशि का भी दावा किया गया है, जो बर्खास्तगी आदेश को स्वीकार किए जाने के उपर्युक्त तर्क को और सुदृढ़ करता है।

10. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेखों एवं उनसे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

11. यह विधि का सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि दांडिक प्रकरण में आरोपों के सिद्ध होने हेतु कठोर प्रमाण अपेक्षित होता है, जबकि विभागीय जांच में संभावनाओं कि बहुलता के आधार पर भी आरोप सिद्ध माने जा सकते हैं। ***डिविजनल कंट्रोलर, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम एम. जी. विट्टल राव*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर पूर्ववर्ती निर्णयों का परीक्षण करते हुए निम्नानुसार प्रतिपादित किया :—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **"24.** अतः इस स्थापित विधिक सिद्धांत के संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता कि दोनों प्रकार की कार्यवाहियों में प्रमाण का मानक भिन्न होता है, और जब सेवा समाप्ति मात्र किसी कर्मचारी की आपराधिक दोषसिद्धि पर आधारित नहीं है, तब दांडिक प्रकरण में कर्मचारी का दोषमुक्त होना विभागीय कार्यवाही के प्रभाव को समाप्त करने का आधार नहीं बन सकता। ऐसी स्थिति को दोहरा जोखिम भी नहीं कहा जा सकता। इस न्यायालय का निर्णय ***कैप्टन एम. पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड*** सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाला सिद्धांत स्थापित नहीं करता। प्रत्येक प्रकरण के तथ्य, आरोप तथा साक्ष्य की प्रकृति आदि के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि दोषमुक्ति का निर्णय विभागीय जांच में दर्ज निष्कर्षों पर कोई प्रभाव डालता है अथवा नहीं।
>
> **विश्वास का ह्रास (Loss of confidence)**
>
> **25.** एक बार जब नियोक्ता का कर्मचारी पर से विश्वास समाप्त हो जाता है और उक्त विश्वास-हानि सद्भावना पर आधारित पाई जाती है, तब दंडादेश को चुनौती से

प्रतिरक्षित माना जाना चाहिए, क्योंकि विश्वास एवं भरोसे के पद पर कार्य करने हेतु पूर्ण सत्यनिष्ठा आवश्यक होती है, और विश्वास-हानि की स्थिति में पुनर्नियोजन का निर्देश नहीं दिया जा सकता। [देखें : ***एयर इंडिया कॉर्पोरेशन बनाम वी. ए. रेबेलो; फ्रांसिस क्लेन एंड कंपनी (प्रा.) लिमिटेड बनाम वर्कमेन; भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) बनाम एम. चंद्रशेखर रेड्डी***]।"

12. प्रस्तुत प्रकरण में यह निर्विवाद स्थिति है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई छापामार कार्यवाही में कुछ अघोषित अचल संपत्तियाँ प्राप्त हुई थीं। उक्त संपत्तियों के अधिग्रहण की जानकारी याचिकाकर्ता द्वारा कभी भी उत्तरवादी प्राधिकारियों को नहीं दी गई, जो कि गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है, परिणामस्वरूप नियोक्ता का कर्मचारी, अर्थात् याचिकाकर्ता, पर से विश्वास एवं भरोसा समाप्त होना स्वाभाविक है। याचिकाकर्ता का यह कथन कि उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप अस्पष्ट एवं अनिश्चित हैं, मात्र स्व-समर्थित कथन है, क्योंकि आरोप विशिष्ट एवं स्पष्ट प्रकृति के हैं। इसके अतिरिक्त, इस याचिका में निहित विवादित प्रश्न पर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में ही विचार किया जा चुका है, तथा उत्तरवादी प्राधिकारियों ने माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत, दिनांक 27.01.1998 को खंडपीठ की अनुमति से आक्षेपित आदेश को क्रियान्वित किया है। उक्त तथ्य का उल्लेख याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका में नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण तथ्यों का लोप किया है; अतः इस आधार पर भी याचिका निरस्त किए जाने योग्य है। केवल इस आधार पर कि उत्तरवादी प्राधिकारियों ने सीबीआई द्वारा जप्त दस्तावेजों पर भरोसा किया है, संपूर्ण विभागीय जांच को दूषित नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ता विभागीय जांच की कार्यवाही में किसी प्रकार की त्रुटि या अवैधानिकता इंगित करने में असफल रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा विभागीय जांच की प्रक्रिया में कथित त्रुटियों का प्रश्न पूर्व में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष भी उठाया गया था, जहाँ कुछ अवधि के लिए विभागीय जांच पर स्थगन आदेश प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा अंतरिम आदेश के विस्तार की मांग कर विभागीय जांच को विलंबित करने का प्रयास किया गया, जिसे खंडपीठ द्वारा दिनांक 22.09.1997 को अस्वीकार कर दिया गया। अंततः, उत्तरवादी प्राधिकारियों को जांच पूर्ण करने का निर्देश दिया गया और खंडपीठ की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13.अतएव, याचिका गुण-दोष रहित पाई जाने से निरस्त की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By---------- Rahul Krishna Sahu

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur